(1)

प्रकरण संख्या 43/प्रापत्र/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय

मोतीलाल बनाम राज्य सरकार

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 21-10-2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के दादा जी की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल खोलते समय ग्रामीणों के कथनानुसार प्रार्थी के पिता का नाम हरिनारायण की जगह बोलता नाम हरिशंकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। तब से प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हरिशंकर ही अंकित चला आ रहा है जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजों में हरिनारायण दर्ज है जो सही है

प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद बैंक से के.सी.सी. लेने के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब जानकारी में आया कि प्रार्थी के पिता का नाम हरिनारायण की जगह हरिशंकर अंकित है। जिससे प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है. और निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम हरिशंकर के स्थान पर हरिनारायण ... शुद्धि की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:39:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा प्रकरण को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय माखिदा में रखा गया। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी के सहखातेदारान शिविर में उपस्थित आये। तहसीलदार व हल्का पटवारी से रिपोर्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ली गई। तहसीलदार इन्द्रगढ़ व हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका पर्चा से जाहिर है कि प्रार्थी मोहितशर्मा के पिता का वास्तविक नाम हरिनारायणशर्मा है किन्तु जमाबन्दी ग्राम मारिवदा सम्बत 2072-75 के खाता सं. 126 एव खाता संख्या 175 में प्रार्थी के पिता का नाम हरिशंकर दर्ज है। तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में पिता का नाम हरिनारायण दर्ज है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं रिपोर्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वर्ष 2018 की अंक तालिका की छाया प्रतियो के अवलोकन से प्रार्थी के पिता का नाम हरिनारायण दर्ज है। प्रार्थी की माता द्वारा शपथपत्र व सहायकों द्वारा मजमेआम में प्रार्थी के पिता का नाम हरिनारायण होना स्वीकार किया। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है अत: प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम मारिवदा की जमाबन्दी सम्बत 2072-75 के खाता सं. 126 व खाता सं. 175 में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम हरिशंकर को विलोपित किया जाकर प्रार्थी मोहितशर्मा के पिता का नाम [illegible] हरिनारायण दर्ज किया जाकर जमाबन्दी रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21-10-2021 को शिविर मुख्यालय पचांयत मारिवदा पर लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:20 IST
Reason: SelfAttested